V Printed Pages : 4

(20126) Roll No. .....

LL.B.-I Sem.

11201

LL.B. Examination, December-2025

LAW

Constitutional Law of India-I

(K-1002)

Time : Three Hours] *[Maximum Marks : 100*

Note : Attempt **all** the sections as per instructions.

नोट : **सभी** खण्डों को निर्देशानुसार हल कीजिए।

Section–A

(खण्ड-अ)

(Very Short Answer Questions)

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt all the **five** questions. Each question carries 4 marks. Very short answer is required not exceeding 75 words. 5×4=20

नोट : सभी **पाँच** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है।

1. Explain in very brief those terms which were added in Constitution by 42nd Constitutional Amendment, 1976.

42वें संविधान संशोधन से संविधान में जोड़े गए पदावलियों की अति-संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

2. Write down any four fundamental duties as prescribed under Indian Constitution.
भारतीय संविधान में विहित किन्हीं चार मूल कर्त्तव्यों को लिखिए।

3. Against whom Fundamental Rights are available? Explain in very brief.
मूल अधिकार किसके विरुद्ध उपलब्ध हैं? अति-संक्षेप में व्याख्या कीजिए।

4. What do you mean by protection from 'Ex-post facto laws'?
"कार्योत्तर विधियों" से संरक्षण से आप क्या समझते हैं?

5. Under what conditions Fundamental Rights can be suspended?
किन परिस्थितियों में मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है?

Section–B
(खण्ड-ब)
(Short Answer Questions)
(लघु उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any **two** questions out of the following three questions. Each question carries 10 marks. Short answer is required not exceeding 200 words. 2×10=20

नोट : निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किन्हीं **दो** प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है।

6. What do you mean by Federalism? Is Indian Constitution federal? Discuss.
संघवाद से आप क्या समझते हैं? क्या भारतीय संविधान संघीय है? विवेचना कीजिए।

7. Doctrine of reasonableness and doctrine of non-arbitrariness are the guiding principles of equality clause. Discuss with the help of decided cases.
युक्तियुक्तता का सिद्धान्त एवं मनमानेपन के विरुद्ध सिद्धान्त समता वाक्य-खण्ड के मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं। निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए।

8. Write a critical note on Cultural and Educational Rights of Minorities as prescribed under Indian Constitution. Refer to decided cases.
भारतीय संविधान में विहित अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। निर्णीत वादों का हवाला दीजिए।

Section–C
(खण्ड-स)
(Detailed Answer Questions)
(विस्तृत उत्तरीय प्रश्न)

Note : Attempt any **three** questions out of the following five questions. Each question carries 20 marks. Answer is required in detail. 3×20=60

नोट : निम्नलिखित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है।

9. With the help of decided cases discuss expanding horizons of freedom of speech and expression as prescribed under Indian Constitution.
भारतीय संविधान में विहित वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विस्तारित आयामों की निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए।

10. Right to life does not mean mere animal existence but it means right to live with human dignity. Discuss with the help of decided cases.

प्राण के अधिकार से तात्पर्य पशुवत जीवन जीने से नहीं है वरन् इसका तात्पर्य मानव गरिमा के साथ जीवन जीने से है। निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए।

11. Public Interest Litigation is a prominent tool to get constitutional remedies now a days. Discuss with the help of decided cases.

आजकल संवैधानिक उपचार प्राप्त करने के लिए लोक हित वाद एक प्रमुख उपकरण है। निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए।

12. With the help of decided cases discuss the relationship between Directive Principles of State Policy and Fundamental Rights.

निर्णीत वादों की सहायता से राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मूल अधिकारों के बीच सम्बन्धों की विवेचना कीजिए।

13. Write short notes on the following :

(a) Protection against self incrimination

(b) Doctrine of double jeopardy

निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :

(क) आत्म दोषारोपण के विरुद्ध संरक्षण

(ख) दोहरे दण्ड का सिद्धान्त